



इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ लखनऊ
आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 4778/2026

मोहम्मद अशर

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य मुख्य सचिव गृह विभाग, लखनऊ विरोधी पक्षकार

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : अफरीन बानो

विरोधी पक्षकार के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 16

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता , राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया
2. यह जमानत याचिका याचिकाकर्ता की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 0031/2026 अंतर्गत धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) और 61(2) भारतीय न्याय संहिता,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

थाना कोतवाली टांडा , जनपद अंबेडकर नगर में विचारण के दौरान याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

3. आवेदक के अधिवक्ता ने बताया कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने बताया कि आवेदक केंद्र सरकार का कर्मचारी है और केंद्रीय विद्यालय संगठन में लाइब्रेरियन के पद पर कार्यरत है। उन्होंने आगे बताया कि संस्थान के हाजिरी रजिस्टर के अनुसार, आवेदक वहां उपस्थित था, इसलिए यह संभव नहीं है कि उसने उत्तर प्रदेश के बैंक खाते से उक्त राशि निकाली हो।

4. उन्होंने आगे बताया कि उमर अहमद, जो आवेदक का रिश्तेदार है, ने बैंक कर्मचारी सहित अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी से आवेदक के खाते में राशि स्थानांतरित की और बाद में उसे निकाल लिया। उन्होंने आगे बताया कि आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है, इसलिए आवेदक द्वारा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है और आगे किसी भी प्रकार की हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।

5. उन्होंने आगे बताया कि सह-आरोपियों में से एक, शरद मौर्य को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि आवेदक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि आवेदक को जेल में रखने से कोई लाभ नहीं होगा। उन्होंने आगे बताया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 16.04.2026 से जेल में बंद है। अंत में, उन्होंने कहा कि आवेदक यह वचन देता है कि यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि आवेदक के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और इसलिए, वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए और अभिलेखों पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने पर, यह प्रतीत होता है कि आवेदक केंद्रीय विद्यालय संगठन में लाइब्रेरियन के रूप में कार्यरत है और जमानत आवेदन के साथ दाखिल हाजिरी रजिस्टर के अनुसार, वह संबंधित तिथि को अपने कार्यस्थल पर उपस्थित था। यह भी निवेदन किया जाता है कि सह-आरोपी शरद मौर्य, जिस पर जाली बीमा पॉलिसी/बॉन्ड बनाने का आरोप है, को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 3418/2026 में दिनांक 13.05.2026 के आदेश द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक 16.04.2026 से जेल में है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

8. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त **आवेदक मोहम्मद अशर** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और दो समान राशि के दो प्रतिभूति बंधपत्र प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(1) आवेदक जांच या विचारण के दौरान गवाहों को डरा-धमकाकर या किसी अन्य तरीके से अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(2) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। वह प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए के तहत कार्यवाही कर सकती है;

(3) आवेदक (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप विरचित किए जाने के दौरान और (iii) धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। और

(4) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए के तहत कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू करेगी।

9. जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, विचारण न्यायालय जमानत रद्द करने और आवेदक को कारागार भेजने के लिए स्वतंत्र होगी।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां इस जमानत आवेदन

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के निपटारे तक ही सीमित हैं और यह मामले की गुण दोष पर कोई प्रभाव नहीं डालती हैं।

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

29 जून, 2026

दिव्या

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।